भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3389
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हेतु आधुनिक अवसंरचना

3389. **श्री राम शिरोमणि वर्मा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के जिलों, विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों, में सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं और आधुनिक शिक्षण उपकरणों की अनुपलब्धता के बारे में अवगत है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा वर्षा ऋतु में जलभराव से ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में विद्यार्थियों की पहुँच को सुकर बनाने हेतु सड़क निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, मौजूदा स्कूल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन और संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए वृद्धिशील आधार पर निर्धारित की जाती है और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होती है। इसके बाद विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानकों, पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के रूप में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यू-डाइज+) का अनुरक्षण करता है। यूडाइज़+ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में शैक्षिक और डिजिटल अवसंरचनात्मक ढांचे की सुविधाओं सहित विभिन्न शैक्षिक संकेतकों संबंधी सभी स्कूलों (सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी) से वार्षिक रूप से जानकारी एकत्र करता है।

यूडाइज़+ 2021-22 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रूप से श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में शैक्षिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का प्रतिशत निम्नानुसार है:

अवसंरचनात्मक ढांचे वाले स्कूलों का प्रतिशत																		
	बिजली		पेयजल		बालिका शौचालय		बालक शौचालय		हैंडवाश		खेल का मैदान		पुस्तकालय		रैम्पस		हैंडरेल	
	जी	जीए	जी	जीए	जी	जीए	जी	जीए	जी	जीए	जी	जीए	जी	जीए	जी	जीए	जी	जीए
उत्तर प्रदेश	85.1	84.9	99.2	99.4	98.3	98.4	97.6	97.4	95.8	91.8	73.7	88.6	96.3	71.0	84.4	56.6	66.2	33.5
बलरामपुर	80.6	84.8	98.3	100.0	98.4	100.0	97.8	100.0	96.7	93.9	68.0	93.9	98.5	87.9	87.5	75.8	68.0	54.5
श्रावस्ती	93.6	94.7	99.5	100.0	99.0	100.0	98.7	100.0	96.1	94.7	68.4	100.0	95.0	89.5	78.3	57.9	57.4	36.8
जी – सरकारी स्कूल, जीए – सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, स्रोत- यूडाइज़+2021-22																		

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:

	टेबलेट की संख्या (प्राथमिक स्कूल)	**स्मार्ट कक्षाओं की संख्या (उच्च माध्यमिक स्कूल)**	**ब्लॉक संसाधन केन्द्रों में आईसीटी प्रयोगशालाओं की संख्या**
उत्तर प्रदेश	2,09,863	18,381	880
श्रावस्ती	1,722	197	05
बलरामपुर	3,005	247	10

इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत समुचित सरकार हैं, और आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य आरटीई नियमों के अनुसार स्कूलों में अवसंरचनात्मक ढाँचा प्रदान करने की जिम्मेदारी और अधिदेश रखते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें स्कूलों तक पहुँच को आसान बनाने और उन सभी अवसंरचनात्मक ढाँचे संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार हैं जो छात्रों की स्कूलों तक पहुँच को बाधित/प्रतिबंधित कर सकती हैं।

*****